

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 5168

दुर्ग, दिनांक 22/07/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत नेट/स्काई परियोजना के तहत मार्ग के समानांतर भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. के व्यापवर्तन की स्वीकृति बाबत। (Reg.No. FP/CG/OFC/43123/2019)

संदर्भ :- 1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-836/1312 दिनांक 4.7.2020.
2) कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./4321 दिनांक 23.06.2020.
3) व.म.अ. खैरागढ़ का पत्र क्र./मा.चि./न.क्र.2-14/1501 दि. 15.07.2020.

▲ ▲ ▲

विषयांतर्गत प्रकरण में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र (2) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ से प्राप्त प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित किया गया था।

आपके संदर्भित पत्र क्र./1312 दिनांक 4.7.2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत 04 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। इस संदर्भ में वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ के पत्र क्र./1501 दिनांक 15.07.2020 द्वारा 04 बिन्दुओं की जानकारी/ पालन प्रतिवेदन एवं 21 बिन्दुओं पर चेकलिस्ट प्रेषित किया गया है, जो अनुशंसा सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 5169

प्रतिलिपि :- वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल, खैरागढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 22/07/2020

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

16/7/20

खैरगढ़, दिनांक 15/07/2020

कमांक/मा.वि./न.क. 2-14/1501

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग बल, दुर्ग (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत नेट/स्क्रीन परियोजना के तहत भारत के समानांतर भूमिगत आर्थिकल फायबर केबल लाइन बिछाने के लिए वानिकी कार्य हेतु 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. के अधिवर्तन की स्वीकृति बाबत। (Reg.No. FP/CG/OFC/43123/2019)

आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./4880 दिनांक 10.07.2020

-000-

निवेदन है कि विषयवस्तु प्रकरण के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/पू-प्रबंध/विषय/115-836/1312 दिनांक 04.07.2020 द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त विभिन्न 04 बिन्दुओं के कमीयों की पूर्ति करने का निर्देश दिया गया है इस संबंध में 04 बिन्दुओं की जानकारी संदर्भित पत्र द्वारा बांटी गई है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दुवार आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
1	Form A Part-II के कालम नं. 16 (Species recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason) में वन मंडलाधिकारी द्वारा किये जाने वाला पार्ट-2 अपलोड नहीं किया गया है।	अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन Part-II में अपलोड किया गया है।
2	FRA Certificate कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपलोड नहीं किया गया है।	कलेक्टर द्वारा जारी किया गया FRA Certificate अतिरिक्त जानकारी के रूप में इस कार्यालय द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
3	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वन प्रबंधन सूचना प्रणाली-2 के अतिरिक्त वन प्रबंधन सूचना प्रणाली-2 के अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड कर दिया गया है।	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वन प्रबंधन सूचना प्रणाली-2 के अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड कर दिया गया है।
4	बैंक लिस्ट अनुसार आवरण पत्र में 21 बिन्दुओं का विवरणपूर्वक का उल्लेख नहीं किया गया है।	बैंक लिस्ट अनुसार पत्र में 21 बिन्दुओं का विवरणपूर्वक विवरण इस आवरण पत्र में निम्नानुसार दर्शाया है :-

21 बिन्दु

क्र.	अभिलेख का विवरण	पू.क्र.
1	आवृत्त विभाग का मांगपत्र - आवृत्तकर्ता अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रोबेट लिमिटेड भारत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन सोसायटी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरगढ़ वनमंडल अंतर्गत 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वन भूमि कुल 4.681 हे. भूमि पर आर्थिकल फायबर केबल लाइन बिछाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई है।	01
2	रजिस्ट्रेशन कार्य एवं वन की पूर्ति हेतु ऑनलाइन एकनॉलेजमैट स्लीप की छायाप्रति :- प्रस्ताव का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/43123/2019 आवृत्त किया गया है। आवृत्त स्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुरू की जा रही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई है।	02

3	वन क्षेत्र का विवरण :- आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वास्ते अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों के 1.084 हे. आरक्षित वनभूमि एवं 3.319 हे. संरक्षित वनभूमि कुल 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वन भूमि कुल 4.681 हे. भूमि पर आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई।	03-13
4	गैर वनक्षेत्र का विवरण :- खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 0.278 हे. है।	14
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोगीट 1:50000 स्केल पर :- प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	15-18
6	वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप :- वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न किया गया है।	19
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारत नेट के अंतर्गत आवेदक संस्थान छ.ग. इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-आफ-वे के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 4.419 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. भूमि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार से वृक्षों का विदोहन नहीं होना है।	20-27
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप :- प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	28-30
9	न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र :- प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	31
10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्य/ जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही :- इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	32
11	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा :- भाग 1 :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारत नेट के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 4.419 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. भूमि की आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की चौड़ाई 0.50 मीटर एवं गहराई 1.65 मीटर पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है। भाग 2 :- खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि निम्नानुसार है :- आरक्षित वन 1.084 हे., संरक्षित वन 3.319 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.278 हे. कुल 4.681 हे. भूमि है। वनभूमि का घनत्व 0.4 है तथा परियोजना की कुल लागत 73 करोड़ 88 लाख रु. है। शासन के निर्देशानुसार वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग (आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है।	33-58
12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र :- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	59
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010) :- संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	60-68
14	जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) :- खैरागढ़ वनमंडल की कुल वनभूमि का रकबा 131369.988 हे. है।	69
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि का रकबा हे.में:- खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत कुल 13 प्रकरणों में 160.928 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत किया गया है।	70

16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि का रकबा है. में :- व.स.अ.-1980 के तहत खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वनभूमि का रकबा 1.378 हे. है।	71
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति ना होने की जानकारी (छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010) :- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है और ना ही प्रस्तावित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	72
18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009) :- आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र क्रमांक 190 दिनांक 7.1.2020 को जारी किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	73-74
19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक भू-प्रबंध/1317 दिनांक 25.05.2007 :- प्रस्ताव में राजस्व वनभूमि सम्मिलित है। राजस्व वनभूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 102 दिनांक 7.1.2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	75-80
राज्य शासन से संबंधित		
20	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009 :- प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक EP/CG/OFC/43123/2019 आबंटित है एवं 35000/- रुपये पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराई गई जिसे वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाते में जमा कराया गया है।	81
21	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छ.ग. की अनुशंसा :- आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण क्षेत्र नहीं है, के संबंध में अधोहस्ताक्षरी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	82
अतिरिक्त जानकारी		
1	डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट मय सी.डी.	83-131
2	एफ.एम.आई.एस. से प्राप्त वन आवरण मानचित्र	132-142

अतः संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रस्ताव आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़
खैरागढ़, दिनांक 15/07/2020

पू.क्र./मा.चि./न.क्र. 2-14/1502

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर उनके कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-836/1313 दिनांक 04.07.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2. प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वास्ते-अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ (छ.ग.) आफिस नंबर 402 चौथा माला मैगनेटो मॉल लाभाण्डी रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : CG-06/2020

1. Location of the project/Scheme : Chhattisgarh

(i)

State / Union Territory : Chhattisgarh

(ii)

District : Rajnandgaon

(iii)

Forest Division : Khairagarh

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 4.681

(v)

Category : Optical Fibre Cable

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Khairagarh	1.084	Reserved Forest
2	Khairagarh	3.319	Protected Forest
3	Khairagarh	0.278	Revenue Forest

Division 1. : Khairagarh

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Rajnandgaon	4.681

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i)

Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	4.681	0.4	Eco 3

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
NIL								

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : No Data

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : no

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : deer, bear, fox, wild pig
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

- (i). Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

(ii).

Total Financial Outlay for C.A(lacs):

Patch Wise Details						
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
NO Data						

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
1.		1. project 2. Spot verification 3- Memo 4. photo
2		FMIS Map
3		Collector Certificate
4		FMIS Map
5		Memo 21 Checklist detail
6		FMIS Map
7		FMIS Map

8		FMIS Map
9		FMIS Map
10		FMIS Map
11		FMIS Map
12		FMIS Map
13		Spot Verification
14		FMIS Map
15		FMIS Map

14. District Profile :

S.no.	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on (date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Rajnandgaon	802255	131319.006	160.928	16	185.818	06/06/2020	0	0

15.

Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site Inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site Inspection report	Date of visit
Khairagarh	Durg	DFO	Yes	One		29/05/2020

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))

16.

Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Khairagarh	Durg	DFO	Recommended	Villages available to internet Connectivity		
	Durg	CF	Recommended	Recommendate to CCF		Yes

Print page

Divisional Forest Officer
(Khairagarh Division (C.C.))

TimeLine Details

Proposal received date at each stage of flow.

A. General Details

(i). Proposal No. : FP/CG/OFC/43123/2019

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : BharatNet Phase-II Khairagarh_Division

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State.

(iv). State : Chhattisgarh

(v). Category of the Project : Optical Fibre Cable

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Area of forest land proposed for diversion(In ha.): 4.681

B. Time Line

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query for Shortcoming(if any) by Nodal Officer	Resubmission of Proposal by User Agency	Query by Nodal Officer for submitting Hard Copies	Uploading by U.A.) of copies of receipt received from DFO & DC	Division	Circle	Nodal Office	State Government	Regional Office	Stage-I Approval on	Stage-II Approval on
FP/CG/OFC/43123/2019	07/12/2019	na		24/12/2019	31/12/2019	Khairagarh :03/01/2020	Durg : 06/06/2020 (Khairagarh)	Chhattisgarh 23/06/2020				

C. Essential Details Sought History

Communication between Regional Office & State Government	Communication between State Government & Nodal Officer	Communication between Nodal Officer & Circle	Communication between Circle & Division	Communication between Division & User Agency
		Query raised by Nodal Officer (Chhattisgarh) on:06/07/2020	Query raised by Circle (Durg) on:10/07/2020 Replied by DFO (Khairagarh) on:15/07/2020	Query raised by DFO (Khairagarh) on:08/01/2020 Replied by UA on :19/05/2020

NOTE:- Proposal is pending at CE due to EDS raised by Nodal Officer.

Print page

Divisional Forest Officer
Khairagarh Division (C.G.)